95

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

सं०- ए/स्था. 11-1009/2007-1508 / पटना-15, दि० 03 दिसंबर, 07.

विषय:- विभिन्न अवसरों पर सरकारी सेवकों के पोशाक (ड्रेस) के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक- 1160 पा.जी. दि० 12.06.1952 द्वारा औपचारिक अवसरों अथवा समारोहों के अवसर पर सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा पहने जाने वाले पोशाक (ड्रेस) के संबंध में अनुदेश जारी किया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक- ए./सी. -14015/53-पी.जी.आर. दि० 24.05.1954 द्वारा समारोहों के अतिरिक्त कार्यालय में पहने जाने वाले पोशाकों के संबंध में भी अनुदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् पत्रांक- ए/सी. 2/105/57-पी.जी.-2202 दि० 25.10.57 पत्रांक- ए./पी.ए. 18-101/65-2037 दि० 10.08.1965 द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों को दुहराया गया। विभागीय पत्रांक- सं०सं०05-1008/04-593 दि० 01.07.04 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति को ऑफिसियल ड्यूटी मानते हुए वर्ष 1954 में जारी अनुदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सरकारी सेवकों को निदेशित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक- ए./स्था. 11-1009 (खंड)-1032 दि० 24.08.2007 द्वारा पूर्व के पोशाक संबंधी निर्देशों के अनुपालन हेतु अनुदेश निर्गत किया गया।

2. पोशाक संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अनुदेश काफी पुराने हो चुके हैं। पोशाक समय सापेक्ष होता है तथा सन् 1954 की मान्यताओं एवं मूल्यों में काफी परिवर्तन आ गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पोशाक क्या हो, इस पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की गयी। एतद् विषयक सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के ऐसे कर्मियों, जिनके लिए वर्दी पूर्व से ही निर्धारित नहीं है के लिए राज्य सरकार ने निम्नांकित पोशाक की अनुशंसा का निर्णय लिया है:-

<u>विभिन्न कर्मियों (पुरुषों एवं महिलाओं) के लिए निम्न पोशाक का सुझाव दिया जाता है:-</u>

(क) <u>औपचारिक तथा समारोह के अवसर पर</u>

पुरुषों के लिए	महिलाओं के लिए
शेरवानी एवं चुड़ीदार पैजामा/काला बटन्ड अप कोट तथा फुलपैन्ट (ये काला, सफेद अथवा अन्य हल्के एवं सौम्य रंग के हो सकते हैं)।	सौम्य रंग की साधारण बोर्डर वाली साड़ी।

[illegible] हेतु स्था [illegible] पोशाक सौम्य (Sober) रंग के [illegible] (Decent), मर्यादायुक्त (Dignified) एवं आराम-दायक [illegible] हों और जो [illegible] के समाज में पहने जाते हों [illegible] एवं [illegible] हों।

[illegible] कार्यालय [illegible] है, [illegible] सेवकों से यह [illegible] कार्यालय में अनौपचारिक (Casual) पोशाक जैसे [illegible]

[illegible] घोषित नहीं जायें। [illegible] 07.2004 द्वारा [illegible] के अनुरूप [illegible] (जो अतिरिक्त ड्यूटी माना जायेगा) के लिए [illegible] निर्देश लागू रहेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण गजट में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित कर दिया जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- ए., आर. 1-1009/07- 1508 / पटना-15, दि० 03 दिसंबर, 07.

प्रतिलिपि- सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02. सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अपने स्तर से इस संकल्प को परिचारित कर देंगे।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 1508 / पटना-15, दि० 03 दिसंबर, 07.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित करते हुए इसकी 250 प्रतियाँ प्रतियाँ विभाग को भी उपलब्ध कराया जाये।

सरकार के प्रधान सचिव।